भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2674

(दिनांक 11.12.2024 को उत्तर के लिए)

एक ही स्थान पर पति-पत्नी के तैनाती के नियम

2674. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पति-पत्नी को उनके पारिवारिक जीवन की देखभाल के लिए एक ही स्थान पर तैनात करने का कोई प्रावधान या नियम है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये नियम किन-किन विभागों में लागू हैं?
(ग) क्या पति-पत्नी में से किसी एक के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने की स्थिति में उक्त नियमों के तहत कोई उपाय या सुरक्षा उपलब्ध है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): जी, हां। सरकारी कर्मचारी को सामान्य पारिवारिक जीवन जीने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 30.09.2009 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के माध्यम से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि जहां तक संभव हो, सरकारी सेवा में कार्यरत पति और पत्नी की तैनाती एक ही स्थान पर या रिक्त पदों की उपलब्धता के अध्यधीन निकटतम स्थान पर की जाए। इसके अलावा, मंत्रालयों/विभागों के अपने संगठनों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण और तैनाती के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश/नीति हैं।

*****